

कार्यालय :- न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बलौदाबाजार, (छ.ग.)

00 आदेश 00

क0-14/ दो-10-1/2019

बलौदाबाजार, दिनांक-12/09/2024

माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक-7359/तीन-18-27/2000/डी.ई. बिलासपुर दिनांक-23.06.2023 के साथ संलग्न सारणी "अ" एवं छत्तीसगढ़ शासन विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर जिला रायपुर के पत्र क्रमांक 6695/1902/21-ब/छ.ग./2023, रायपुर दिनांक 26 मई 2023, माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक-7716/III-18-27/2023./डी.ई. बिलासपुर दिनांक 30.06.2023 एवं माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 4650/ III-18-27/2023./डी.ई. बिलासपुर दिनांक 15.03.2024 के साथ संलग्न छत्तीसगढ़ शासन विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर नवा रायपुर जिला रायपुर के पत्र क्रमांक 2758/977/21-ब/छ.ग./2024 रायपुर दिनांक 15 मार्च 2024 के अंतर्गत रिक्त 01 पद साक्ष्य लेखक की पूर्ति हेतु वित्त विभाग के अनुमति प्राप्त होने पर इस स्थापना द्वारा जारी विज्ञापन क्रमांक-07/दो-10-1/2019 बलौदाबाजार दिनांक 14.07.2023 एवं सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन क्रमांक-Q-3/24/परि.न्याया., बलौदाबाजार दिनांक 21.06.2024 के अंतर्गत जारी परिमार्जित विज्ञापन के परिप्रेक्ष्य में, रिक्त 01 पद साक्ष्य लेखक के चयन के लिए, गठित चयन समिति कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलौदाबाजार के साक्ष्य लेखक के अंतिम चयन परिणाम क्रमांक-Q.31/24, बलौदाबाजार दिनांक 04.09.2024 साक्ष्य लेखक का अंतिम चयन परिणाम को अनुमोदित करते हुए निम्नलिखित चयनित परीक्षार्थी को (सहायक ग्रेड-03 संवर्ग,) साक्ष्य लेखक के पद के वेतन, छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 में वेतनमान, वेतन मैट्रिक्स लेवल-4 (रूपये 19500-62000) में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पूर्णतः अस्थायी रूप से 03 वर्ष की परीवीक्षा अवधि प्राविधिक (प्रोविजनल) के रूप में निम्नांकित शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है :-

क.	अनुक्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	परीक्षार्थी के पिता/पति का नाम	वर्ग	परीक्षार्थी का पत्र व्यवहार का वर्तमान पता/स्थायी पता
1	FDW299	प्रकाश कुमार ठाकुर	पुरन सिंह ठाकुर	अनारक्षित (मुक्त)	मौहारी भाटा, वार्ड नं. 28 शासकीय प्राथमिक शाला के पीछे महासमुंद जिला महासमुंद (छ.ग.)

नियुक्ति की शर्तें :-

- चयनित उम्मीदवार आवश्यक रूप से अपनी शैक्षणिक योग्यता एवं संबंधित दस्तावेजों की मूल के साथ उनकी दो-दो प्रति स्वयं अभिप्रमाणित कर साथ लावें।
- चयनित उम्मीदवार जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर उपयुक्तता प्रमाण पत्र तत्परता से पेश करना होगा। अनुपयुक्त पाये जाने पर नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- परीवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं करने पर परीवीक्षा अवधि 01 वर्ष और आगे बढ़ाई जा सकती है तथा परीवीक्षा अवधि में कार्य आचरण एवं व्यवहार संतोषजनक नहीं पाये जाने पर बिना कारण बताए सेवा कभी भी समाप्त की जा सकेगी।

4. यदि शासकीय सेवा छोड़ना चाहे तो 01 माह की पूर्व सूचना इस कार्यालय को देनी होगी अथवा 01 माह का वेतन तथा उस पर देय सभी भत्तों कार्यालय में जमा करना होगा।
5. नियोक्ता की पूर्व अनुमति के बिना आगे शिक्षा जारी नहीं रख सकेगा।
6. नियोक्ता की पूर्व अनुमति के बिना अन्यत्र नौकरी के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे।
7. किसी भी प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर नियुक्ति तत्काल निरस्त की जा सकेगी।
8. नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के 15 दिवस के भीतर आवश्यक रूप से अपना कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त मानी जा सकेगी। इस हेतु पुनः सूचित नहीं किया जावेगा। कार्यभार ग्रहण करते समय दो नग सेवा पुस्तिका सहित समस्त शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां सहित अवलोकनार्थ मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
9. यह नियुक्ति अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्व वृत्तान्त सत्यापन की प्रत्याशा में की जा रही है। पदभार ग्रहण करने के उपरांत सत्यापन हेतु निर्धारित प्रपत्र में पूर्ति कर कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। चरित्र सत्यापन कराये जाने पर किसी अपराध में संलिप्तता पाये जाने पर नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
10. उक्त नियुक्ति आरक्षण के संबंध में माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा रिट पीटिशन क्रमांक (सी) 591/2012 तथा अन्य संबंधित प्रकरणों में पारित आदेश दिनांक 19.09.2022 के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पारित किये जाने वाले आदेश/निर्णयों अध्यधीन होगा।
11. नियुक्ति के समय पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन हेतु अनुप्रमाणन फार्म पूर्ति कर 03 प्रतियों में शपथपत्र सहित पेश करेंगे। यदि चरित्र सत्यापन में सेवा के लिए अनुपयुक्त पाया गया तो सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी।

//सही//
(कु. सरोज नंद दास)
न्यायाधीश,

SK परिवार न्यायालय
बलौदाबाजार (छ.ग.)

पृष्ठां. क्र०-³⁰⁴/ दो-10-1/2019

बलौदाबाजार, दिनांक-12/09/2024

प्रतिलिपि :-

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर की ओर ज्ञापन क्रमांक 4650/ III-18-27/2023, /डी.ई. बिलासपुर दिनांक 15.03.2024 के आलोक में सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. श्री प्रकाश कुमार ठाकुर पिता पुरन सिंह ठाकुर, पत्र व्यवहार का पता एवं स्थायी पता-मौहारी भाठा, वार्ड नं. 28 शासकीय प्राथमिक शाला के पीछे महासमुंद जिला महासमुंद (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
3. लेखापाल/कार्यालय लिपिक, कार्यालय न्यायाधीश परिवार न्यायालय बलौदाबाजार छ.ग. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
4. सहायक प्रोग्रामर कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलौदाबाजार की ओर जिला न्यायालय के वेबसाईड पर अपलोड किये जाने हेतु अग्रेषित।

SK
न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय
बलौदाबाजार (छ.ग.)